मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली

संख्या: ई-13/12/1/2015-जनसंपर्क दिनांक: 24 जून, 2015

प्रैस-प्रकाशनी

क.रा.बी.निगम अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं का उन्नयन

कर्मचारी राज्य बीमा निगम(क.रा.बी.नि.) ने देश भर में अपने सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन की पहल करने तथा एक स्वच्छता अभियान आरंभ करने का निर्णय किया है। अस्पतालों को यह सलाह दी गई है कि माह नवंबर, 2015(दिपावली) से पूर्व सफेदी तथा छुट-पुट मरम्मत का कार्य पूरा कर लें । यह भी निदेश दिया गया है कि क.रा.बी.निगम अस्पतालों के अध्यक्ष अस्पताल के शौचालयों की स्वच्छता की जांच करेंगे । क.रा.बी.निगम अस्पतालों के बाहर लॉन की भी देखभाल की जाएगी जिससे कि वह मनोहर दिखे । यह भी अनुदेश दिया गया है कि क.रा.बी.निगम अस्पतालों के सभी क्षेत्रों को तेज रोशनी से प्रकाशित किया जाए । सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों के लिए समान साइनेज प्रणाली भी डिजाइन की जा रही है जिससे सभी आगंतुकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके । स्वच्छता बनाए रखने के लिए क.रा.बी.निगम अस्पतालों को प्रतिदिन मरीज के बिस्तर की चादर बदलने के लिए भी कहा गया है । यह परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु बिस्तर की चादरों का दिवसवार रंग निर्धारित किया जाएगा। क.रा.बी.निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को एक फीडबैक प्रणाली स्थापित करने के लिए भी कहा गया है जिससे मरीजों के सुझावों/समस्याओं को प्राधिकारियों द्वारा सुना जाए ।

महानिदेशक, क.रा.बी.निगम, श्री दीपक कुमार, भा.प्र.से. ने सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की । अस्पतालों को निदेश दिया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में एक विशेष स्वच्छता अभियान आरंभ किया जाए ।

इस संबंध में सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों में निम्नलिखित कार्य बिंदुओं का अनुसरण किया जाना है :-

- **अस्पतालों का सामान्य रख-रखाव:** अस्पताल भवनों में सफेदी तथा छुट-पुट मरम्मत के कार्यों सहित रंग-रोगन कार्य हेतु विशेष अभियान आरंभ किया गया है । उद्यान को बेहतर बनाने, उपयुक्त माहोल के लिए फूलों के गमलों, शौचलयों की स्वच्छता की प्रतिदिन जांच तथा उपयुक्त स्थानों पर समान एवं आकर्षित साइनेज हेतु निदेश जारी किए गए हैं ।

- **लिनेन/चादरें:** स्वच्छता बनाए रखने हेतु बाह्य रोगी विभाग तथा वार्डों में मरीजो के बिस्तरों की चादरें प्रतिदिन बदली जानी हैं । बिस्तर की चादरें बदला जाना सुनिश्चित करने हेतु क.रा.बी. निगम ने निर्णय किया है कि इंद्रधनुषी रंग(विब्ग्योर) प्रतिरूप पर भिन्न दिवसों पर भिन्न रंगों की चादरें प्रयोग की जाएंगी ।

- **<u>रोगी–परिचर कल्याण:</u>** रोगियों तथा उनके परिचरों के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक अस्पताल में उन्नत स्वागत कक्ष/"कृपया सहायता का अवसर दें" काउंटर होगा । रोगियों को दिए जाने वाले आहार की तालिका साइनेज के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी । पंजीकरण तथा दवाओं के लिए ईओआई मॉडल पर उचित कतार प्रबंधन प्रणाली संस्थापित की जा रही है । पेय जल की सुविधा के साथ रोगियों तथा परिचरों के लिए बैठने, एलसीडी आदि की व्यवस्था का उन्नयन किया जाना है। अस्पताल के स्टाफ को जनता के साथ व्यवहार करते समय शिष्टाचार का पालन करने से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, भर्ती रोगियों को अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक फीडबैक प्रपत्र(स्थानीय भाषाओं में) दिए जाएंगे तथा उन्हें उचित रूप से तालाबंद पेटियों में डाला जाएगा । चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा इस फीडबैक प्रपत्र की दैनिक आधार पर समीक्षा की जाएगी ताकि उन पर उचित कार्रवाई की जा सके।

- **<u>नैदानिक सुविधाओं में सुधार:</u>** सभी संभावित पैथोलॉजिकल जांच तथा रेडियोलॉजिकल सेवाएं जैसे एक्स-रे, यूएसजी, सिटी स्कैन, एमआरआइ आदि अस्पतालों में उन्नयन/आउटसोर्सिंग द्वारा और यदि अपेक्षित हो तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर प्रदान की जाएंगी ।

- **<u>सेवाओं में सुधार तथा नई सेवाएं जोड़ना:</u>** सभी क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पतालों में आउटसोर्सिंग द्वारा तथा यदि अपेक्षित हो तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर डायलिसिस, कैंसर पता लगाने/प्राथमिक उपचार, कार्डियोलॉजी/आइसीयू सेवाओं के लिए सुविधाएं प्रदान/सृजित की जानी हैं ।

- **<u>वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग/अशक्त व्यक्तियों के लिए अलग बाह्य रोग विभाग:</u>** वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दोपहर बाद भेषजी सुविधा के साथ अलग बाह्य रोगी विभाग शुरू होने जा रहा है ।

- **<u>लोक शिकायत पर कार्रवाई तथा अनुवीक्षण:</u>** अस्पतालों की लैंडलाइन दूरभाष जनता के बीच विज्ञापित कर दी जाएगी तथा इसे हर समय देखने के लिए चिकित्सा अधीक्षक किसी को नियुक्त करेंगे । स्टाफ की उपलब्धता, बाह्य रोगी विभाग परिचर्या, दवाइयों की स्थिति तथा कॉल सुनने वाले प्रतिवादी का नाम आदि सुनिश्चित करने के लिए क.रा.बी. निगम, मुख्यालय द्वारा इस दूरभाष संख्या पर प्रतिदिन कम से कम 10 क.रा.बी. अस्पतालों में यादृच्छिक रूप से कॉल की जाएंगी । क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम तथा वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त उनके अधिकार क्षेत्र के अस्पतालों में निरीक्षण के लिए बारंबार दौरा करेंगे तथा उपलब्धियों के अनुसार अस्पतालों को श्रेणीबद्ध करेंगे ।

- **<u>प्रत्येक माह एक नई सेवा जोड़ना:</u>** प्रत्येक चिकित्सा अधीक्षक को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों में रोगियों/परिचरों के लिए प्रत्येक माह एक नई सेवा जोड़ने का प्रयास करें तथा पर्याप्त रूप से उसे प्रचारित करें ।